B.Ed. 2nd Year
Paper- C-11 (C)
Unit-3

* विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मार्गदर्शन एवं परामर्श :-

(Guidance and counselling for children with special needs)

Introduction :- मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज से ही करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से समाज से जुड़ा हुआ है साथ ही इसी समाज में व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसके लिए व्यक्ति को निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। इन दोनों में सामान्य या विशिष्ट व्यक्तियों का समूह भी अनिवार्य रूप से निर्देशन प्राप्त कर अपनी समस्याओं का समाधान करने की योग्यता प्राप्त करते हैं।

अतः समाज में ऐसे लोगों (प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, बाल-अपराधी, दिव्यांग इत्यादि) को उनके प्रगति के पथ पर आने वाली समस्याओं का समाधान निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से किया जाता है ताकि उनमें सामान्य लोगों की तरह योग्यताओं एवं गुणों का विकास किया जा सके।

* विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का अर्थ :-

वैसे बालक जो मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक रूप से ही नहीं बल्कि बौद्धिक दृष्टि से भी सामान्य और विशिष्ट होते हैं।

अर्थात वैसे बालक जो

मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो और यह विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपनी विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुँचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो उसे ही असाधारण या विशिष्ट बालक कहा जाता है।

विशिष्ट बालक की परिभाषा :-

* **जरासिल्ड, टैलफोर्ड तथा सावरे के अनुसार :-** "विशिष्ट या असाधारण उन बालकों को कहा जाता है, जो औसत से भिन्न होते हैं।"

* **क्रो एण्ड क्रो के अनुसार :-** "विशेष प्रकार शब्द किसी एक ऐसे गुण या उस गुण को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए उस समय प्रयोग किया जाता है जो अन्य सामान्य व्यक्तियों से अधिक असमान्य प्रतीत होता है।"

विशिष्ट बालक की विशेषताएँ :-

(1) इनकी ज्ञान इंद्रिया प्रखर होती है।

(2) ये शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक दृष्टि से विशिष्ट होते हैं।

(3) इनकी अधिगम क्षमता अत्यंत तीव्र या अत्यंत मंद भी हो सकती है।

Scanned with CamScanner

Date

(4) इनके लिए विशेष विद्यालयों तथा कक्षाओं की व्यवस्था की जाती है।

(5) इन्हें विशेष पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के द्वारा अध्यापन कराया जाता है।

* विशिष्ट बालकों के प्रकार :-

- (1) शारीरिक बाधाओं से ग्रसित या दिव्यांग बालक।
- (2) मंदबुद्धि बालक
- (3) प्रतिभाशाली बालक
- (4) बाल-अपराधी बालक
- (5) पिछड़े बालक

इत्यादि।

(1) अपंग या दिव्यांग बालक :-

अपंग या दिव्यांग बालकों को असमर्थ बालक भी कहा जाता है। जिसका आशय उन बालकों से है जिसमें सामान्य बालकों की तुलना में कोई शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं समाजिक दोष होता है जिस कारण वे असमर्थ होते है।

अर्थात अपंग बालक समाज में हीन दृष्टिकोण के शिकार होते है। तथा अपने शारीरिक दोषों के कारण समाजिक समायोजन नहीं कर पाते है।

Scanned with CamScanner

Page No.
Date

* अपंग बालक की परिभाषा :-

* शिक्षा परिभाषा कोश के अनुसार :-

"शारीरिक रूप से विकलांग बालक शारीरिक रूप से दोष ग्रसित व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति के किसी न किसी अंग में कोई असमान्य कमी होती है, जिसके कारण वह सामान्य व्यक्ति की तरह दैनिक कार्य नहीं कर पाता है।

* अपंग बालकों के प्रकार :-

→ (1) शारीरिक दृष्टि से विकलांग (अंधे, बहरे, गूंगे तथा लंगड़े)

→ (2) बौद्धिक दृष्टि से विकलांग (जन्मजात, अल्प एवं मंदबुद्धि बालक)

→ (3) सामाजिक कारणों से विकलांग (जो समाज में समायोजन न करें)

* अपंग या दिव्यांग बालकों हेतु निर्देशन एवं परामर्श :-

उपरोक्त वाक्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऐसे बालकों जो जन्मजात अपंग हो या किसी कारणवश जन्म के उपरान्त अपंग हुए, उन्हें निर्देशन कार्यक्रमों के अंतर्गत विद्यालयों में निर्देशन तथा परामर्श के द्वारा विशेष रूप से शिक्षा प्रदान कर उनके जीवन को समाज में सुव्यवस्थित किया जा सकता है ताकि उनमें हीनता को

Date

भावना का विकास न हो तथा वे भी अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से जी सके।

अतः निर्देशन प्रदाता को निर्देशन के क्षेत्र में अपंग बालकों की योग्यताओं तथा अपेक्षाओं को देखकर विशिष्ट निर्देशन की रूपरेखा बनानी चाहिए। इसके अतिरिक्त दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मान, आदर एवं सहानुभूति की दृष्टि से देखा जाना चाहिए।

(2) मंदबुद्धि बालक :- (Mentaly Retarded children) :- वैसे बालक जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं तथा जिनकी बुद्धिलब्धि अन्य बालकों से कम होती है।

अर्थात हम कह सकते हैं कि वैसे बालक जो मानसिक रूप से अपूर्ण होते हैं तथा उनसे उनके अध्यापक और अभिभावक दोनों ही असंतुष्ट रहते हैं। और कक्षा में समस्या बन जाते हैं। मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। सामान्यतः वैसे बालकों की बुद्धिलब्धि (I.Q) 60 से कम होती है।

* मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएँ :-

(1) इनके कार्य अन्य बालकों की अपेक्षा अत्यंत धीमी होती है।

(2) वे निरंतर अस्वास्थ्य होते हैं।

(3) इनका झुकाव सदैव "अपराध और

अनैतिकता की ओर होता है।

(4) इनकी शब्दावली अपूर्ण एवं दोषपूर्ण होती है।

(5) इनकी रुचियाँ सामान्य एवं सीमित होती है।

* मंदबुद्धि बालकों की समस्याएँ :-

(1) ऐसे बालक परिवार, समाज एवं विद्यालय में समुचित वातावरण के अभाव में संवेगात्मक रूप से अपरिपक्व हो रह जाते हैं।

(2) ये समाज में ठीक ढंग से समायोजित नहीं हो पाते हैं।

(3) ऐसे बालक कक्षा में सामान्य विद्यार्थियों के समान शीघ्र अधिगम नहीं कर पाते हैं।

(4) समाज में मंदबुद्धि बालकों को हीन दृष्टि से देखा जाता है जिसकारण वे स्वयं को असमर्थ पाते हैं।

(5) हीन भावना से ग्रसित होने के कारण उनका सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है।

* मंदबुद्धि बालकों के लिए निर्देशन एवं परामर्श :-

उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष कक्षाओं का प्रबंध कर उनके लिए विशेष निर्देशन कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए।

Date

निर्देशन सेवाओं का प्रबंधन इस प्रकार से करना चाहिए ~~ताकि~~ जिससे कि उनका सर्वांगिण विकास हो सके। निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से उनके अंदर विकसित हीन भावना को समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

अतः विभिन्न क्षेत्रों में मंदबुद्धि व्यक्ति को निर्देशन प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विशिष्ट निर्देशन कार्यक्रम के कारण ही ऐसे बालकों में कुसमायोजन को दूर किया जा सकता है। इसलिए इस क्षेत्र में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। यदि उन्हें निर्देशन के माध्यम से आत्म विश्वास पैदा किया जाये तो वे भी सामान्य बालक बन सकते हैं।

Scanned with CamScanner